भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3714

18 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

एफसीआई द्वारा उपज की खरीद

3714. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा कर्नाटक के किसानों से उपज की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफसीआई किसानों को खरीद के लिए तत्काल भुगतान कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के एफसीआई गोदामों में अनाज और अन्य भंडारण क्षमता के बारे में डेटा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(घ) क्या एफसीआई में उपज के भंडारण के लिए कोई मानदंड हैं और बाजार में उपलब्ध कराने से पहले इसके संबंध में कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है कि एफसीआई गोदामों में संग्रहीत खाद्यान्न कीटों से प्रभावित नहीं हों?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): कर्नाटक एक विकेन्द्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्य होने के कारण, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) किसानों से खाद्यान्नों की खरीद में भाग नहीं लेता है। डीसीपी राज्य में, खरीद संचालन और किसानों को भुगतान राज्य सरकार द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। चूंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों (ओडब्ल्यूएस) के लिए कर्नाटक में चावल की आवश्यकता, डीसीपी मोड में राज्य द्वारा खरीदे गए धान/चावल की मात्रा से अधिक है, इसलिए केंद्रीय पूल में आवश्यक अतिरिक्त मात्रा को एफसीआई द्वारा अधिशेष खरीद करने वाले राज्यों से स्टॉक के संचलन से पूरा किया जाता है।

एमएसपी का भुगतान सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा केवल ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से अधिमानतः खरीद के 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है।

...2/-

(ग): दिनांक 01.11.2024 तक की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक में एफसीआई के 9.82 लाख टन (स्वामित्व-4.61 लाख टन और किराए पर-5.21 लाख टन) भंडारण क्षमता वाले 57 गोदाम (स्वामित्व-21 और किराए पर-36) वर्तमान में कार्य कर रहे है। एफसीआई के स्वामित्व और किराए पर ली गई राजस्व जिलावार भंडारण क्षमता **अनुबंध-I** में दी गई है।

(घ): स्टॉक सामान्यतः फसल वर्षवार प्राथमिकता अर्थात "प्रथम आमद प्रथम निर्गम" (एफआईएफओ) सिद्धांत के आधार पर गोदाम से जारी किया जाता है।

(ङ): भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों में कीटों के खतरे को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3714 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कर्नाटक में राजस्व जिला-वार एफसीआई की स्वामित्व और किराए पर ली गई भंडारण क्षमता

क्र.सं.	एजेंसी	राजस्व जिला का नाम	डिपो का नाम	स्वामित्व/किराए पर	गोदाम की क्षमता (टन)
1		बेल्लारी	एफएसडी बल्लारी	स्वामित्व	31300
2		बेगावी	एफएसडी बेलगावी	स्वामित्व	24,000
3		शिवमोगा	एफएसडी भद्रावती	स्वामित्व	7450
4		धारवाड़	एफएसडी बोम्मापुर	स्वामित्व	36,000
5		बैंगलुरु	बीएससी व्हाइटफील्ड	स्वामित्व	1,06,488
6		कोलार	एफएसडी केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड	स्वामित्व	6,560
7		मैसूर	एफएसडी के.आर. नगर	स्वामित्व	12,576
8		बैंगलुरु	एफएसडी के.आर.पुरम	स्वामित्व	55,510
9		कोडागू	एफएसडी कुशलनगर	स्वामित्व	3,132
10		मंड्या	एफएसडी मद्दूर	स्वामित्व	11,716
11	एफसीआई (21)	मैसूर	एफएसडी मैसूरु	स्वामित्व	15,763
12		मैसूर	एफएसडी नंजनगुड	स्वामित्व	10,020
13		तुमकुरु	एफएसडी तुमकुरु	स्वामित्व	24,408
14		शिमोगा	एफएसडी गोदिकोप्पा शिमोगा	स्वामित्व	15800
15		हसन	एफएसडी हसन	स्वामित्व	12500
16		धारवाड़	एफएसडी हुबली (उंकल)	स्वामित्व	13,000
17		कोप्पल	एफएसडी कोप्पल	स्वामित्व	12520
18		रायचूर	एफएसडी रायचूर	स्वामित्व	18792
19		शिमोगा	एफएसडी थावरेकोप्पा	स्वामित्व	18800
20		दक्षिण कन्नड़	एफएसडी उडुपी	स्वामित्व	12310
21		विजयपुरा	एफएसडी विजयपुरा	स्वामित्व	12,000
	कुल स्वामित्व वाली क्षमता				**4,60,645**
22		बीदर	सीडब्ल्यूसी बीदर	किराए पर	10955
23		दावणगेरे	सीडब्ल्यूसी दावणगेरे	किराए पर	12222
24		गडग	सीडब्ल्यूसी गडग यूनिट II	किराए पर	31,425
25	सीडब्ल्यूसी (7)	कलबुर्गी	सीडब्ल्यूसी गुलबर्गा यू II	किराए पर	63046
26		दक्षिण कन्नड़	सीडब्ल्यूसी मन्नागुड्डा	किराए पर	3010
27		दक्षिण कन्नड़	सीडब्ल्यूसी पनाम्बुर	किराए पर	6248
28		तुमकुरु	सीडब्ल्यूसी तुमकुरु	किराए पर	19,785
	कुल सीडब्ल्यूसी डिपो				**1,46,691**
29		बागलकोट	एसडब्ल्यूसी बागलकोट	किराए पर	12,232
30		बागलकोट	एसडब्ल्यूसी बागलकोट यूनिट II	किराए पर	32,780
31		चामराजनगर	एसडब्ल्यूसी चामराजनगर यू II	किराए पर	17,976
32		बेलगावी	एसडब्ल्यूसी बेलगावी	किराए पर	8,250
33		बीदर	एसडब्ल्यूसी बीदर	किराए पर	31171
34		दावणगेरे	एसडब्ल्यूसी दावणगेरे	किराए पर	10504
35		दावणगेरे	एसडब्ल्यूसी हरिहर	किराए पर	9604
36		कोलार	एसडब्ल्यूसी कुप्पनहल्ली	किराए पर	11,680
37		शिमोगा	एसडब्ल्यूसी माछेनाहल्ली	किराए पर	8173
38	एसडब्ल्यूसी	मंड्या	एसडब्ल्यूसी मद्दूर	किराए पर	5,852
39	(20)	मंड्या	एसडब्ल्यूसी मांड्या यू I	किराए पर	4,928
40		दक्षिण कन्नड़	एसडब्ल्यूसी मैंगलोर	किराए पर	3000
41		मैसूर	एसडब्ल्यूसी मैसूर यू II	किराए पर	3,000
42		मैसूर	एसडब्ल्यूसी मैसूर यू III	किराए पर	5,000
43		तुमकुरु	एसडब्ल्यूसी तुमकुर यू II	किराए पर	6,268
44		विजयपुरा	एसडब्ल्यूसी विजयपुरा III	किराए पर	24,000
45		चिक्कमगलूर	एसडब्ल्यूसी चिक्कमगलूर (एयूबी)	किराए पर	4600
46		हावेरी	एसडब्ल्यूसी रानेबेन्नूर (एयूबी)	किराए पर	26,500
47		चित्रदुर्ग	एसडब्ल्यूसी चित्रदुर्ग (एयूबी)	किराए पर	19600
48		हसन	एसडब्ल्यूसी हसन (एयूबी)	किराए पर	5000
	कुल एसडब्ल्यूसी डिपो				**2,50,118**
49	पीईजी (2)	उत्तर कन्नड़	पीईजी कारवार	किराए पर	11670
50		बेलगावी	पीईजी बेलगावी	किराए पर	25,000
	कुल पीईजी डिपो				**36,670**
51	साइलो (1)	कोलार	**साइलो मालूर**	किराए पर	**25,000**
52		कोप्पल	पीईजी कोप्पल	किराए पर	20000
53		यादगीर	पीईजी यादगीर	किराए पर	15000
54	पीडब्ल्यूएस (6)	कलबुर्गी	एफटीसी गुलबर्गा (पीडब्ल्यूएस)	किराए पर	6300
55		कोप्पल	पीडब्लूएस कोप्पल	किराए पर	5000
56		यादगीर	पीडब्लूएस यादगीर	किराए पर	5000
57		बेलगावी	पीडब्लूएस चिक्कोडी	किराए पर	11,928
	कुल पीईजी डिपो				**63,228**
		किराए पर ली गई कुल क्षमता			**5,21,707**
कुल क्षमता					**9,82,352**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 18.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3714 के उत्तर के भाग (ड.) में उल्लिखित अनुबंध

खाद्यान्नों की बर्बादी रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम:-

(i) भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपनाकर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(ii) फर्श से खाद्यान्नों तक नमी की पहुंच को रोकने के लिए लकड़ी के क्रेट्स, बांस की चटाई, पॉलीथीन शीट जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग किया जाता है।

(iii) सभी गोदामों में भण्डारित अनाज कीटों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर, नायलॉन की रस्सी, जाल और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iv) भण्डारित अनाज कीटों के नियंत्रण के लिए गोदामों में नियमित रूप से और समय पर रोगनिरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर उपाय (प्रधूमन) किए जाते हैं।

(v) चूहों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

(vi) ट्रांजिट स्टोरेज/'कवर एंड प्लिंथ' (सीएपी) भंडारण में खाद्यान्नों को ऊंचे प्लिंथों पर संग्रहित किया जाता है और लकड़ी के क्रेट्स का उपयोग डनेज सामग्री के रूप में किया जाता है। स्टैक को विशेष रूप से निर्मित कम घनत्व वाले काले पॉलीथीन वाटर-प्रूफ कवर से ठीक से ढका जाता है और नायलॉन की रस्सियों/जालों से बांधा जाता है।

(vii) योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जांच और सुपर चेक की प्रणाली द्वारा नियमित अंतराल पर खाद्यान्नों की आरोग्यता की निगरानी की जाती है।

(viii) गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचने के लिए "प्रथम आमद प्रथम निर्गम" (एफआईएफओ) के सिद्धांत का पालन किया जाता है।

*****